"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2003-20 01 05"

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 260-अ] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 2 सितम्बर 2008—भाद्र 11, शक 1930

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2008

क्रमांक 8402/डी-236/21-अ/प्रारूपण/छ.ग./08. — छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 29-08-2008 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 18 सन् 2008)

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008

छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के उनसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 है.

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा.

(3) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा 4 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 4 के खण्ड (सत्रह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

(सत्रह) विश्वविद्यालय से अभिप्रेत है, -

(क) विश्वविद्यालय, जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित माना जाए तथा जिसे द्वितीय अनुसूची के भाग एक (पुनरीक्षित) में विनिर्दिष्ट किया गया है.

(ख) विश्वविद्यालय जो इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पश्चात् स्थापित किया जाए तथा जिसे द्वितीय अनुसूची के भाग दो (पुनरीक्षित) में विनिर्दिष्ट किया गया है.

धारा 5 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (एक) में जहां कहीं शब्द तथा अंक "भाग एक" आया हो, के स्थान पर शब्द तथा अंक "भाग-एक (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 5 की उपधारा (एक-क) का संशोधन.

4. मूल अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (एक-क) में शब्द तथा अंक "भाग दो" जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द तथा अंक "भाग-दो (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 15 (क) का संशोधन.

5. मूल अधिनियम की धारा 15-क की उपधारा (एक) शब्द तथा अंक "भाग दो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "भाग-दो (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

धारा 16 का संशोधन.

6. मूल अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (2) के परन्तुक में "भाग दो" के स्थान पर शब्द तथा अंक "भाग-दो (पुनरीक्षित)" प्रतिस्थापित किया जाए.

अध्याय 13 का जोड़ा जाना.

7. मूल अधिनियम के अध्याय बारह के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय जोड़ा जाए, अर्थात् :-

अध्याय-तेरह, प्रकीर्ण उपबन्ध

धारा 70 राज्य सरकार की शक्ति.

(1) इस अधिनियम के उपबन्धों तथा उसके अधीन बनाए गए परिनियम, अध्यादेश तथा विनियम अध्यधीन होते हुए भी, राज्य सरकार को निम्नलिखित एवं आनुषांगिक विषयों पर विश्वविद्यालय को आदेश जारी करने की शक्तियाँ होंगी :-

(एक) विश्वविद्यालय के पुनर्गठन होने पर उसकी धन, सम्पत्ति (जंगम/स्थावर) का विभ

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों/निकायों का गठन.

(तीन) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों (शैक्षणिक/अशैक्षणिक-सभी संवर्ग) के स्थानांतरण एवं वितरण के संबंध में.

(चार) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विशेष भत्ता के संबंध में.

(पांच) द्वितीय अनुसूची के भाग-एक (पुनरीक्षित) के अंतर्गत स्थापित विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में.

(छः) विश्वविद्यालय के कुलपति की परामर्श से अन्य कोई विषय, तथापि इस (संशोधित) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने के दो वर्ष पश्चात् आदेश जारी नहीं किया जाएगा.

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी सभी आदेशों/अधिसूचनाओं को राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जावेगा.

(3) इस धारा की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी आदेश पर कोई विवाद की स्थिति में विषय, कुलाधिपति के समक्ष रखा जावेगा, और वह इसे अधिकरण को निर्दिष्ट करेगा. अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा एवं सभी पर बन्धनकारी होगा.

(4) (क) इस (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने के पूर्व पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में प्रवृत्त समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम बस्तर विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम माने जावेंगे. परिनियम, अध्यादेश, विनियम (क्रियान्वयन).

(ख) इस (संशोधन) अधिनियम, 2008 के प्रारंभ होने के पूर्व गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर के समस्त परिनियम, अध्यादेश, विनियम सरगुजा विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश एवं विनियम माने जावेंगे.

द्वितीय अनुसूची

भाग-एक (पुनरीक्षित)

[धारा 2 (दो) देखिए]

क्र. सं. (1)	विश्वविद्यालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर	रायपुर	रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, महासमुन्द, एवं धमतरी राजस्व जिलों के सीमा के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

भाग-दो (पुनरीक्षित)

[धारा 4 (सत्रह) देखिए]

क्र. सं. (1)	विश्वविद्यालय का नाम (2)	मुख्यालय (3)	क्षेत्राधिकार (4)
1.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर-चांपा एवं रायगढ़ राजस्व जिलों के सीमा के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.
2.	बस्तर विश्वविद्यालय	जगदलपुर	कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर राजस्व जिलों के सीमा के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.
	सरगुजा विश्वविद्यालय	अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर एवं कोरिया राजस्व जिलों के सीमा के भीतर समाविष्ट क्षेत्र.

रायपुर, दिनांक 2 सितम्बर 2008

क्रमांक 8402/डी-236/21-अ/पारूपण/छ.ग./08 — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2008 (क्रमांक 18 सन् 2008) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. सामंतराय, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 18 of 2008)

CHHATTISGARH VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ACT, 2008

An Act to amend the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-ninth year of the Republic of India as follows :-

Short title, extent and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2008.

(2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

(3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

Amendment of Section 4.

2. For clause (xvii) of Section 4 of the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1973 (No. 22 of 1973) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following clause shall be substituted, namely :-

(xvii) University means,-

(a) The University deemed to be established under this Act and specified in Part-I (Revised) of the second schedule.

(b) The University, which may be established after the commencement of this Act and specified in Part-II (Revised) of the second schedule.

Amendament of Section 5.

3. In sub-section (i) of section 5 of the Principal Act, for the word and figure "Part-I" wherever they occur the word and figure "Part-I (Revised)" shall be substituted.

Amendament of sub-section (i-a) of Section 5.

4. In sub-section (i-a) of section 5 of the Principal Act, for the word and figure "Part-II" wherever they occur the word and figure "Part-II (Revised)" shall be substituted.

Amendment of Section 15-A

5. In sub-section (i) of section 15-A of the Principal Act, for the word and figure "Part-II" the word and figure "Part-II (Revised)" shall be substituted.

Amendment of Section 16.

6. In the proviso of sub-section (2) of Section 16 of the Principal Act, for the word and figure "Part-II" the word and figure "Part-II (Revised)" shall be substituted.

Addition of Chapter XIII.

7. After Chapter-XII of the Principal Act, the following chapter shall be added, namely :-

CHAPTER-XIII MISCELLANEOUS PROVISIONS

Section 70 Power of State Government.

(1) Subject to the provisions of this Act, and the Statutes, Ordinances and Regulations made there under, the State Government shall have powers to issue orders to the University on any of the following and incidental matters :-

(i) Division of money, property (movable and immovable) belonging to the University on its reorganization.

(ii) Constitution of authorities/bodies of the University.

(iii) Regarding distribution, transfer of employees (teaching/non-teaching all category) amongst the University.

(iv) Regarding special allowance to the employees of the University.

(v) Regarding territorial jurisdiction of the University established under Part-I (Revised) and Part-II (Revised) of the second schedule.

(vi) Any other matter in consultation the Voice-Chancellor of the University.

However, the orders shall not be issued after 02 years of commencement of this (Amendment) Act, 2008.

(2) All the orders/notification issued under sub-section (1) shall be laid before the State Legislature.

(3) In case of any dispute on the order issued under sub-section (1) of this section, the matter shall be placed before the kuladhipati and he shall refer the matter to a tribunal and the decision of the tribunal shall be final and binding on all.

Statutes, Ordinances, Regulations (Implementation)

(a) All the statutes, ordinances, regulations in force before the commencement of this (Amendment) Act, 2008 in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur shall be treated as statutes, ordinances, regulations of University of Jagdalpur.

(b) All the statutes, ordinances, regulations in force before the commencement of this (Amendment) Act, 2008 in Guru Ghadidas University, Bilaspur shall be treated as statutes, ordinances, regulations of University of Ambikapur.

THE SECOND SCHEDULE
PART-I (Revised)
[See Section 2 (ii)]

S. No.	Name of the University	Headquarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pt. Ravishankar Shukla University	Raipur	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Raipur, Durg Rajnandgaon, Kabirdham, Mahasamund and Dhamtari.

PART-II (Revised)
[See Section 4 (xvii)]

S. No.	Name of the University	Headquarter	Territorial Jurisdiction
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Guru Ghasidas Vishwavidyalaya	Bilaspur	Areas comprised within the limits of the revenue Districts of Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa and Raigarh.
2.	Bastar Vishwavidyalaya	Jagdalpur	Areas comprised within the limits of revenue Districts of Kanker, Bastar, Dantewada, Narayanpur and Bijapur.
3.	Sarguja Vishwavidyalaya	Ambikapur	Areas comprised within the limits of the revenue Disteicts of Sarguja, Jashpur and Korea.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2008.